अध्याय 4

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

अध्याय 4

अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग

4.1 ₹ 40.51 लाख का संदिग्ध गबन

जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी (डीआईपीआरओ), मेवात (नूंह) के कार्यालय में काल्पनिक कर्मचारियों की फर्जी यूनिक आईडी बनाकर और सातवें वेतन आयोग के बकाया वेतन व छुट्टी नकदीकरण के नाम पर उनके बैंक खातों में राशि अंतरित करके ₹ 40.51 लाख का संदिग्ध गबन किया गया।

हरियाणा सरकार ने अगस्त 2011 में सभी सरकारी विभागों में ई-सैलरी प्रणाली लागू की थी। इस प्रणाली के तहत, प्रत्येक कर्मचारी को उसके वेतन और अन्य बकाया राशि को संबंधित बैंक में अंतरित करने के लिए छः अक्षरों का एक विशिष्ट कोड दिया जाता है, जिसे आदाता का यूनिक कोड (यूसीपी) कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, 24 जनवरी 2012 के निर्देशों के अनुसार, आदाता के यूनिक कोड का आवंटन ऑनलाइन कर दिया गया था और आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) द्वारा ई-सैलरी मॉड्यूल पर आदाता के यूनिक कोड आवंटित किए जा सकते हैं। इसके लिए, एक नए कर्मचारी द्वारा पैन कार्ड, निरस्त चेक और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रतियां जमा करने के बाद, ई-सैलरी बनाने वाला (लिपिक/लेखाकार) अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से आदाता का यूनिक कोड जेनरेट करता है। इसके बाद, चेकर/आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से उक्त आदाता के यूनिक कोड को सत्यापित करता है। ई-सैलरी बनाने वाला अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-सैलरी पोर्टल पर बिल जेनरेट करता है और आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने क्रेडेंशियल के माध्यम से उन बिलों को सत्यापित कर भुगतान के लिए खजाने में जमा करता है।

दिसंबर 2015 और अक्तूबर 2023 की अवधि के लिए, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी (डीआईपीआरओ), मेवात, नूंह की दिसंबर 2023 में अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, अगस्त 2019 और जून 2020 के मध्य की रोकड़ बही लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं की गई थी। हालांकि, ई-सैलरी वेबसाइट से उक्त अवधि के ई-सैलरी वाउचर डाउनलोड करके लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा अवधि के लिए जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, नूंह के कर्मचारियों की आदाता सूची की जांच से पता चला कि अगस्त 2019 से जून 2020 की अवधि के दौरान, 14 धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान ऐसे आदाताओं को किए गए थे, जिनके यूनिक कोड नंबर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, नूंह के कर्मचारियों के यूनिक कोड नंबरों से मेल नहीं खाते थे। काल्पनिक कर्मचारियों के पक्ष में इन 14 लेनदेनों के माध्यम से ₹ 40.51 लाख ***(परिशिष्ट 4.1)*** की राशि वितरित की गई थी। यद्यपि इन आदाताओं के नाम जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी/मेवात कार्यालय के कर्मचारियों के जैसे ही थे, लेकिन उनके यूनिक कोड, पैन, बैंक खाते के विवरण और पते वास्तविक कर्मचारियों से अलग थे। संबंधित बैंकों से आगे सत्यापन करने पर, कार्यालय अभिलेखों के अनुसार काल्पनिक कर्मचारियों के पते वास्तविक कर्मचारियों के पतों से भिन्न पाए गए।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के आधार पर, अप्रैल 2024 में चार सदस्यीय[1] विभागीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने ₹ 40.51 लाख के गबन की पुष्टि की और हरियाणा सिविल सेवा (दंड तथा अपील) नियमावली, 2016 के तहत आहरण एवं संवितरण अधिकारी, लेखाकार और लिपिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने तथा अगस्त 2019 और जून 2020 के बीच फर्जी विशिष्ट आईडी बनाकर, झूठे/छद्म नाम वाले कर्मचारियों के नाम पर 14 लेनदेन के माध्यम से किए गए ₹ 40.51 लाख के धोखाधड़ीपूर्ण भुगतान के लिए पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज करने की सिफारिश की। 29 अक्तूबर 2025 को आहरण एवं संवितरण अधिकारी, लेखाकार और लिपिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, अनुशासनात्मक कार्रवाई और गबन की गई राशि की वसूली प्रतीक्षित थी (नवंबर 2025)।

मामला मई 2025 में आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के पास भेजा गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएसएचएयू), हिसार

4.2 बैंक गारंटी की शर्तों में ढील देने के परिणामस्वरूप बायोगैस संयंत्र के उद्देश्य की प्राप्ति न होना

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय/समिति ने बैंक गारंटी की शर्त में ढील दी, जिससे एजेंसी को बिना किसी वित्तीय परिणाम/हानि का सामना किए परियोजना से हटने का अवसर मिल गया। परिणामस्वरूप, अपूर्ण बायोगैस संयंत्र पर किया गया ₹ 5.60 करोड़ का व्यय व्यर्थ रहा, क्योंकि एजेंसी ने 90 प्रतिशत से अधिक करार राशि प्राप्त करने के बाद फरवरी 2020 से परियोजना को छोड़ दिया था।

केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत सितंबर 2017 में धान के पराली प्रबंधन के लिए पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास और उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए ₹ 6.10 करोड़ की एक अनुसंधान परियोजना को अनुमोदन दिया गया था। परियोजना के तहत, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कुलपति ने नवंबर 2017 में 100 किलोवाट विद्युत उत्पादन की क्षमता के साथ कृषि अपशिष्ट पर आधारित बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए ₹ छः करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया।

निविदाएं आमंत्रित करने (दिसंबर 2017) के बाद, बायोगैस संयंत्र[2] का कार्य मार्च 2018 में ₹ 6.10 करोड़ की करार राशि पर टर्नकी आधार पर एक एजेंसी को आवंटित किया गया था। करार की क्लॉज 11 के अनुसार, लेआउट योजना प्रस्तुत करने पर एजेंसी को 50 प्रतिशत (₹ 3.05 करोड़) अग्रिम भुगतान किया जाना था, जो नवंबर 2018 में कर दिया गया था। अगला 20 प्रतिशत

[1] सहायक जिला अभियोजक, लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी (स्थापना) और संबंधित सहायक।

[2] न्यूनतम 100 किलोवाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाले कृषि अपशिष्ट-आधारित बायोगैस विद्युत उत्पादन संयंत्र का डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, निर्माण और कमीशनिंग। जिसमें सभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल, कंट्रोल और इंस्ट्रुमेंटेशन कार्य शामिल हैं।

(₹ 1.20 करोड़) बैंक गारंटी के बदले 50 प्रतिशत सिविल कार्य पूर्ण होने पर अग्रिम के रूप में देय था, जिसका भुगतान जून 2019 में (बैंक गारंटी प्राप्त किए बिना) कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त 20 प्रतिशत भुगतान (₹ 1.20 करोड़) विभिन्न उपकरणों की खरीद और आपूर्ति के लिए अग्रिम के रूप में, सिविल कार्य पूर्ण होने पर (पूर्ववर्ती बैंक गारंटी के विरूद्ध) देय था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (सितंबर-अक्तूबर 2023) कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की केंद्रीय खरीद समिति ने बैंक गारंटी प्राप्त करने की शर्त में इस आधार पर ढील दी थी कि एजेंसी ने 75 प्रतिशत सिविल कार्य पूर्ण कर लिया था और ₹ 3.47 करोड़ के उपकरण आयात किए थे। विश्वविद्यालय ने निरीक्षण समिति और विभागाध्यक्ष, प्रसंस्करण एवं खाद्य इंजीनियरिंग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिश पर जनवरी और फरवरी 2020 के दौरान ₹ 1.35 करोड़ की राशि और जारी की। इस प्रकार, फरवरी 2020 तक एजेंसी को कुल ₹ 5.60 करोड़ का भुगतान किया गया था। यह पाया गया था कि फरवरी 2020 में भुगतान प्राप्त करने के बाद एजेंसी द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया था। जुलाई 2020 से यह मामला चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन रहा, लेकिन परियोजना को पूर्ण न करने के लिए एजेंसी के विरूद्ध कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। परियोजना को पूर्ण करने के बजाय, एजेंसी ने सितंबर 2021 में अपरिहार्य परिस्थितियों का संदर्भ देते हुए कार्य पूर्ण करने में अपनी असमर्थता जताई और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के विरूद्ध मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू कर दी। एजेंसी द्वारा मध्यस्थता फीस का भुगतान न करने के कारण सितंबर 2023 में मध्यस्थता की कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया था। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने फरवरी 2024 में करार को समाप्त कर दिया और ₹ 12 लाख की बयाना राशि जब्त कर ली।

फरवरी 2020 में ₹ 5.60 करोड़ प्राप्त करने के बाद एजेंसी ने परियोजना को बीच में ही छोड़ दिया। परिणामस्वरूप, ₹ 5.60 करोड़ (करार राशि का 91.8 प्रतिशत) का व्यय होने के बाद भी यह परियोजना अपूर्ण और अक्रियाशील रही।

इस प्रकार, बैंक गारंटी की आवश्यकता को समाप्त करके चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय/समिति ने एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा तंत्र को कमजोर कर दिया, जिससे एजेंसी को बिना किसी वित्तीय परिणाम या हानि का सामना किए परियोजना से हटने का अवसर मिल गया।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने बताया (दिसंबर 2025) कि बायोगैस संयंत्र को कार्यात्मक बनाने के लिए कुछ एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है। इस उत्तर को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए कि ₹ 5.60 करोड़ का व्यय अब तक (दिसंबर 2025) निष्फल पड़ा है और परियोजना के पूर्ण होने से पहले ही आयातित उपकरणों की वारंटी की अवधि समाप्त होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

मामला जुलाई 2025 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के पास भेजा गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

4.3 अपूर्ण कार्य पर ₹ 6.37 करोड़ का भुगतान

अनिवार्य शिपिंग और निरीक्षण दस्तावेजों की प्राप्ति के बिना ही साख-पत्र के माध्यम से ठेकेदार को भुगतान जारी करने के कारण चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को ₹ 6.37 करोड़ की हानि हुई। भुगतान प्राप्त करने के बाद ठेकेदार ने सामग्री की आपूर्ति नहीं की। यह चूक साख-पत्र के दोषपूर्ण निबंधनों और शर्तों के कारण हुई। इसके अतिरिक्त, वसूली के प्रयास अप्रभावी रहे।

आयातित वस्तुओं की खरीद के मामले में वस्तु खरीद नियमावली, 2017 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को भुगतान बैंक में खोले गए साख-पत्र[3] के माध्यम से किया जाना चाहिए और मूल चालान, मूल स्थान प्रमाण-पत्र, प्रेषण-पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट, बीमा और शिपमेंट विवरण सहित आवश्यक शिपिंग और निरीक्षण दस्तावेज द्वारा समर्थित होना चाहिए। निविदा दस्तावेज के निबंधन और शर्तों में यह भी प्रावधान था कि सामग्री की लागत का 90 प्रतिशत भुगतान साख-पत्र के माध्यम से तभी देय होगा, जब आपूर्तिकर्ता के चालान, बीमा प्रमाण-पत्र, निरीक्षण और मूल स्थान के प्रमाण-पत्रों की प्रतियां जमा कर दी जाएं और लोडिंग पोर्ट, शिपमेंट की तारीख, जहाज का नाम आदि के संबंध में जानकारी साझा कर दी जाए।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2018 में "एक एकीकृत सौर-आधारित हाई-टेक ग्रीनहाउस परियोजना की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और संचालन" का कार्य मेसर्स एस्ट्रोन सोलपावर प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून को ₹ 12.75 करोड़ में सौंपा था, जिसे 12 महीने की अवधि में पूर्ण किया जाना था। अनुबंध के अनुसार, साख-पत्र के खुलने से तीन महीने की आपूर्ति अवधि के भीतर संरचनात्मक सामग्री, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और सहायक उपकरण की आपूर्ति के लिए चरण-I में साख-पत्र के विरुद्ध 50 प्रतिशत भुगतान (₹ 6.37 करोड़) किया जाना था।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने 18 जनवरी 2019 को देना बैंक में एक साख-पत्र खोला, जिसके तहत ठेकेदार को 90 दिनों की अवधि के लिए ₹ 6.37 करोड़ (अनुबंध मूल्य का 50 प्रतिशत) का भुगतान किया गया था और भुगतान 30 अप्रैल 2019 को देय था। साख-पत्र के निबंधनों और शर्तों के अनुसार, माल की शिपमेंट 26 अप्रैल 2019 तक की जानी थी और साख-पत्र जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में प्रोफार्मा इनवॉइस, माल ढुलाई बीमा प्रति और शिपमेंट दस्तावेज शामिल थे। हालांकि, साख-पत्र में निर्धारित शर्तें निविदा की आवश्यकताओं से काफी भिन्न थी, क्योंकि इन क्लॉज में आपूर्तिकर्ता के इनवॉइस जैसे किसी भी आवश्यक दस्तावेज को जमा करने का उल्लेख नहीं था, और न ही उनमें उपकरणों की लागत, मूल देश या निरीक्षण विवरण के प्रकटीकरण का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार द्वारा परियोजना का कार्य पूर्ण न करने के कारण चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि

[3] क्रेता का बैंक, आपूर्तिकर्ता के बैंक को भुगतान करने के लिए क्रेता की ओर से साख-पत्र खोलता है। करार की शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने पर आपूर्तिकर्ता को उसके भुगतान का आश्वासन देने के लिए साख-पत्र खोला जाता है।

विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान की तिथि दो बार अर्थात 21 मई 2019 और 2 जुलाई 2019 तक बढ़ाई गई थी।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की 12 सदस्यीय परियोजना निगरानी समिति ने 2 जुलाई 2019 को बैंक से साख-पत्र के माध्यम से भुगतान रोकने का अनुरोध किया क्योंकि एजेंसी ने चरण-I का कार्य पूर्ण नहीं किया था। बैंक ने साख-पत्र को 29 जुलाई 2019 तक बढ़ा दिया। 25 जुलाई 2019 को, बैंक ने निदेशक (एस एंड पी), चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सूचित किया कि साख-पत्र को और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि साख-पत्र के निबंधन और शर्तें एजेंसी को भुगतान को प्रतिबंधित नहीं करते थे। करार के तहत आवश्यक कार्य पूर्ण न होने के बावजूद, 25 जुलाई 2019 को विश्वविद्यालय की निगरानी समिति ने चरण-I के कार्य को संतोषजनक प्रमाणित कर दिया। हालांकि, साख-पत्र के भुगतान की अंतिम तिथि (29 जुलाई 2019) को, निदेशक (एस एंड पी), चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने कार्य अपूर्ण होने का संदर्भ देते हुए बैंक से पुन: भुगतान न करने का अनुरोध किया। बैंक ने यह कहते हुए उसी दिन साख-पत्र की राशि जारी कर दी कि साख-पत्र में भुगतान रोकने का कोई प्रावधान नहीं था।

अंततः, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को माल की कोई भी खेप प्राप्त नहीं हुई और बार-बार पत्राचार के बावजूद एजेंसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने निधियों के दुरुपयोग के लिए एजेंसी के पक्ष में और भुगतान जारी करने के लिए बैंक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु अप्रैल 2021 में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हिसार से संपर्क किया। अपनी जांच (अक्तूबर 2021) में, पुलिस ने इस मामले को दीवानी प्रकृति का माना और बताया कि बैंक की ओर से कोई आपराधिकता नहीं थी क्योंकि साख-पत्र में भुगतान रोकने की कोई क्लॉज नहीं थी। एजेंसी ने मध्यस्थता कार्यवाही (सितंबर 2021) शुरू की, जिसे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इलाहाबाद के समक्ष चल रही परिसमापन प्रक्रिया के कारण मध्यस्थता फीस जमा करने में विफलता के कारण सितंबर 2023 में समाप्त कर दिया गया था। जुलाई 2023 और अक्तूबर 2025 के बीच चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने पुलिस को मामला दर्ज करने के लिए कई अनुरोध भेजे, हालांकि, प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

ठेकेदार को पूरी राशि प्राप्त होने के बावजूद, छः वर्ष बीत जाने के बाद भी दिसंबर 2025 तक कार्य अपूर्ण है। यह उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय ने न तो साख-पत्र में भुगतान रोकने की क्लॉज शामिल करके भुगतान को रोकने का उचित निर्णय लिया और न ही कार्य की प्रगति की उचित निगरानी की।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (दिसंबर 2025) कि एजेंसी और बैंक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए हिसार कोर्ट में एक अदालती मामला दायर किया गया था (मई 2024), जिसकी अगली सुनवाई 20 दिसंबर 2025 को है। इसके अतिरिक्त, एजेंसी और बैंक के विरूद्ध हिसार कोर्ट में वसूली का मुकदमा भी दायर किया गया था (मार्च 2025), जिसकी अगली सुनवाई 14 अप्रैल 2026 को है। साथ ही, विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय के

अधिकारियों/शिक्षकों के विरुद्ध 16 आरोप पत्र जारी किए गए थे और आरोपों की जांच प्रक्रियाधीन थी।

मामला अगस्त 2025 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

4.4 एक ही वाउचर का दो बार उपयोग करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.95 लाख का संदिग्ध गबन

प्रभावी आंतरिक नियंत्रण के अभाव के कारण, एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल, जिनके पास ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का प्रभार भी था, द्वारा उसी स्कूल की स्कूल प्रबंधन समिति को ₹ 24.39 लाख अनियमित रूप से अंतरित कर दिए गए। प्रिंसिपल की सेवानिवृत्ति के 11 महीने तक वाउचर जमा किए बिना निधियां खर्च की गई थी। विभाग द्वारा दो बार जांच की गई, लेकिन उत्तरदायित्व तय नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा विश्लेषण से ₹ 3.95 लाख के संदिग्ध गबन का पता चला क्योंकि कुछ वाउचरों का दो बार उपयोग किया गया पाया गया।

सरकारी स्कूलों में निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए विभागीय दिशानिर्देशों (जनवरी 2017) के अनुसार, प्रत्येक कार्य के लिए एक विस्तृत अनुमान सक्षम प्राधिकारी, अर्थात उप-मंडल अभियंता[4] या कार्यकारी अभियंता[5], जो भी लागू हो, द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अनुदान जारी करने के प्रत्येक प्रस्ताव में स्कूल के प्रमुख और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित अनुमान शामिल होना चाहिए। निष्पादित कार्यों का विवरण माप पुस्तिका में दर्ज किया जाना और तस्वीरों के साथ समर्थित होना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, ₹ 10 लाख से अधिक की लागत वाले कार्यों के निष्पादन की निगरानी जिले के अपर उपायुक्त की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा की जानी चाहिए। कार्य पूर्ण होने पर, स्कूल प्रबंधन समिति और प्रिंसिपल द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ कार्य पूर्णता रिपोर्ट निदेशालय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, पंजाब वित्तीय नियमावली वॉल्यूम-1 का नियम 2.10(ए) यह निर्धारित करता है कि राज्य के राजस्व से व्यय करने या उसे स्वीकृति देने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। पैरा 2.22(5) यह प्रावधान करता है कि सभी भुगतान किए गए वाउचरों पर "भुगतान किया गया" की मोहर लगाई जानी चाहिए या उन्हें निरस्त कर दिया जाना चाहिए ताकि उनका दोबारा उपयोग न किया जा सके।

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गन्नौर (सोनीपत) के कार्यालय में अक्तूबर 2014 से जनवरी 2024 की अवधि के अभिलेखों की नमूना-जांच (मार्च 2024) के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि

[4] उप-मंडल अभियंता, सर्व शिक्षा अभियान या लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) या पंचायती राज।

[5] कार्यकारी अभियंता, सर्व शिक्षा अभियान या लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) या पंचायती राज।

अगस्त 2019 में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (जीएसएसएस), गांव पुगथला की स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) को चारदीवारी के निर्माण के लिए ₹ 6.55 लाख की राशि प्राप्त हुई थी। ये निधियां प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर ही श्री सत्य प्रकाश कटारिया, प्रिंसिपल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पुगथला द्वारा आहरित[6] कर ली गई थी। हालांकि, इसका समायोजन बिल अक्तूबर 2023 में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पुगथला के तत्कालीन प्रिंसिपल श्री बिजेंद्र सिंह द्वारा ₹ 6.57 लाख[7] के सहायक वाउचरों, जो श्री कटारिया द्वारा विधिवत अनुमोदित और हस्ताक्षरित थे, के साथ प्रस्तुत किया गया था।

सितंबर 2019 से अप्रैल 2020 के दौरान, श्री कटारिया, प्रिंसिपल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पुगथला के पास ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ), गन्नौर का अतिरिक्त प्रभार भी था। इस अवधि के दौरान, उन्होंने सिविल निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए दिसंबर 2019 और फरवरी 2020 के मध्य ₹ चार लाख नकद आहरित किए और ₹ 20 लाख राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पुगथला की स्कूल प्रबंधन समिति के बैंक खाते में अंतरित किए। निधियां जारी करने के पीछे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी विस्तृत अनुमान का आधार नहीं था। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पुगथला के प्रिंसिपल के रूप में, उन्होंने जनवरी से अप्रैल 2020 के दौरान ₹ 11.70 लाख नकद और आहरित किए तथा पांच विक्रेताओं[8] को ₹ 8.69 लाख का भुगतान किया। श्री कटारिया ₹ 24.39 लाख के कुल व्यय के वाउचर जमा किए बिना ही 30 अप्रैल 2020 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), सोनीपत ने श्री सत्य प्रकाश कटारिया के विरूद्ध एक अदिनांकित शिकायत, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ₹ 20 से 25 लाख के मध्य सरकारी धन का गबन किया है, की जांच के लिए उप-जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को जांच अधिकारी नियुक्त किया (सितंबर 2020)। जांच अधिकारी की रिपोर्ट (नवंबर 2020) के अनुसार, श्री कटारिया द्वारा व्यय करने के वाउचर उपलब्ध नहीं कराए गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नवंबर 2020 में उन्हें आहरित राशि से संबंधित अभिलेख जमा करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने मार्च 2021 में ₹ 23.27 लाख का उपयोग प्रमाण-पत्र बिलों की फोटोकॉपी के साथ जमा किया और यह दावा किया कि मई 2020 में उनके मूल बिल गुम हो गए थे। इन निधियों का उपयोग स्कूल में नए शौचालयों और मंच के निर्माण, इंटरलॉक टाइलें लगाने और कमरों की मरम्मत के लिए किया गया था।

---

6 17 अगस्त 2019 को श्री जगदीश को ₹ 0.50 लाख; 19 अगस्त 2019 को ₹ 2.90 लाख की नकद निकासी; 20 अगस्त 2019 को मेसर्स बजरंग सीमेंट स्टोर को ₹ 2.35 लाख; और 21 अगस्त 2019 को इसराना को ₹ 0.76 लाख अंतरित किए गए।

7 मेसर्स रविंदर बिल्डर्स को ₹ 3.70 लाख (जनवरी 2020), जनवरी और फरवरी 2020 के दौरान लगाए गए श्रमिकों को ₹ 1.57 लाख; मेसर्स भारत बिल्डिंग मटेरियल को ₹ 0.75 लाख और मेसर्स सचिन शटरिंग स्टोर को ₹ 0.55 लाख का भुगतान।

8 (i) मेसर्स हिंदुस्तान ट्रेडिंग कंपनी को ₹ 1.50 लाख, (ii) मेसर्स भारत बिल्डिंग मटेरियल को ₹ 3.52 लाख, (iii) मेसर्स बजरंग सीमेंट स्टोर को ₹ दो लाख, (iv) मेसर्स शर्मा हार्डवेयर स्टोर को ₹ एक लाख तथा (v) मेसर्स श्री सालासर मार्बल को ₹ 0.67 लाख।

तत्पश्चात, एक अन्य शिकायत के आधार पर, निदेशालय कार्यालय ने जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को श्री कटारिया द्वारा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गन्नौर का अतिरिक्त प्रभार संभालने के दौरान की गई वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया (फरवरी 2021)। जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत के निर्देशों पर, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, गन्नौर ने मामले की जांच के लिए एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया (जून 2021)। समिति ने सितंबर 2021 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह बताया गया कि कार्यों पर किया गया व्यय लगभग ₹ 24 लाख था, जो श्री कटारिया द्वारा अंतरित/आहरित राशि के बराबर था। इस रिपोर्ट के आधार पर, निदेशालय कार्यालय ने श्री कटारिया के विरूद्ध शिकायत को नत्थी/बंद कर दिया (नवंबर 2021)।

हालांकि, ₹ 23.27 लाख के उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न बिलों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹ 3.95 लाख के वाउचर ***(परिशिष्ट 4.2)*** का उपयोग पहले जनवरी 2020 में चारदीवारी के निर्माण (₹ 6.55 लाख) पर हुए व्यय के समर्थन में भी किया गया था, जो ₹ 3.95 लाख के संदिग्ध गबन को इंगित करता है। इसके अतिरिक्त, श्री कटारिया द्वारा ₹ 24 लाख की निधियां (₹ चार लाख नकद आहरण और ₹ 20 लाख बैंक अंतरण के माध्यम से) बिना किसी उचित स्वीकृति और अनुमोदन के अनियमित रूप से स्कूल प्रबंधन समिति, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पुगथला को अंतरित कर दी गई थी। जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है, विभाग में आंतरिक नियंत्रण तंत्र का अभाव था। कार्यवाहक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने उचित स्वीकृति के बिना सरकारी खाते से बड़ी राशि अंतरित/आहरित की थी और इसके अतिरिक्त, अंतरित/आहरित निधियों के वाउचर और उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में भी विफल रहे।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, हरियाणा ने उत्तर दिया (दिसंबर 2025) कि जुलाई 2019 में जारी अनुदान (चारदीवारी के निर्माण हेतु) से संदिग्ध गबन के मामले की जांच के लिए जनवरी 2025 में एक जांच समिति का गठन किया गया था; इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में अधिक समय लग सकता है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा के अनुरोध के बावजूद, जांच की स्थिति साझा नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों (दिसंबर 2022) के अनुसार, सेवानिवृत्ति के चार वर्ष बाद किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। अतः, जांच शुरू करने में हुए विलंब को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना अपेक्षित है। सितंबर 2020 और जून 2021 में गठित पिछली विभागीय जांच समितियों ने आरोपों की सही से जांच नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप शिकायतों को बंद कर दिया गया, इस तथ्य के बावजूद कि ₹ 3.95 लाख के वाउचर दो अलग-अलग कार्यों में व्यय के सहायक दस्तावेजों के रूप में दो बार उपयोग किए गए थे।

मामला नवंबर 2025 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग के पास भेजा गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

उच्चतर शिक्षा विभाग

4.5 उपयोगकर्ता की आवश्यकता सुनिश्चित किए बिना उपकरणों की खरीद के कारण उपकरण/सेवाओं पर व्यर्थ व्यय

निदेशालय कार्यालय ने सरकारी कॉलेजों के लिए वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के दौरान निर्धारित नियमों/निर्देशों का उल्लंघन किया, इसके अतिरिक्त, उपकरणों/सेवाओं को स्थापित करने और उपयोग करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप ₹ 8.72 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

निदेशक, उच्चतर शिक्षा (डीएचई) के कार्यालय में अभिलेखों की नमूना-जांच (अप्रैल 2024) के दौरान, यह पाया गया था कि निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने 17 सरकारी कॉलेजों और निदेशालय कार्यालय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) प्रणाली प्रदान करने के लिए मेसर्स आईटीआई लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) से सेवाएं प्राप्त की थी। इसका उद्देश्य सभी सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को निगरानी उद्देश्यों के लिए एक क्लिक पर सुलभ बनाने और कॉलेज के छात्रों को दूरस्थ रूप से व्याख्यान प्रदान करने की सुविधा देना था।

फर्म ने 17 कॉलेजों में ₹ 3.84 करोड़ की लागत से शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना के लिए अपना वाणिज्यिक प्रस्ताव जून 2017 में प्रस्तुत किया था, जिसमें भुगतान की शर्तें 90 प्रतिशत अग्रिम और 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर निर्धारित थी। खरीद आदेश जुलाई 2017 में जारी किया गया था और उपकरणों की आपूर्ति सितंबर और अक्तूबर 2017 के दौरान की गई थी। इसके पश्चात, वर्ष 2019-20 में अतिरिक्त 133 कॉलेजों में भी शिक्षण प्रबंधन प्रणाली लागू की गई थी। इन प्रणालियों की खरीद के साथ-साथ इनके उपयोग में भी अनियमितताएं पाई गई, जिनकी चर्चा निम्नानुसार है:

क. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण की स्थापना/उपयोग न करना

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि खरीद खुली निविदाओं को आमंत्रित किए बिना नामांकन के आधार पर की गई थी, जो वित्तीय नियमों[9] और राज्य सरकार के निर्देशों[10] का उल्लंघन है, जिनमें यह अनिवार्य किया गया है कि आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय, हरियाणा के माध्यम से खुली निविदा प्रक्रिया अपनाकर सभी खरीद की जानी चाहिए, केवल पेटेंट वस्तुओं और आकस्मिक स्थितियों को छोड़कर। इसके अतिरिक्त, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन (2016) के अनुसार, ₹ एक करोड़[11] से अधिक की खरीद के लिए उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) का अनुमोदन अपेक्षित था।

---

9 नियम 7, पंजाब वित्तीय नियम खंड-II (परिशिष्ट 14) (हरियाणा राज्य में लागू)।

10 उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा मई 2010 में जारी भंडार की खरीद पर नीतिगत दिशा-निर्देश।

11 वित्तीय शक्तियों (अगस्त 2016) के अनुसार, उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति को ₹ एक करोड़ से अधिक की खरीद को अंतिम रूप देने के लिए अधिकृत किया गया था। फरवरी 2021 में इस सीमा को संशोधित कर ₹ पांच करोड़ कर दिया गया था।

यह पाया गया था कि उपकरण निदेशक, उच्चतर शिक्षा के कार्यालय में स्थापित नहीं किया गया था और स्टोर रूम में अप्रयुक्त पड़ा पाया गया था। 17 कॉलेजों में से 14 में उपकरण स्थापित तो किए गए थे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उनका कभी उपयोग नहीं किया गया (मार्च 2020 से)। शेष तीन कॉलेजों[12] में उपकरण स्थापित ही नहीं किए गए थे।

₹ 3.38 करोड़ की इन मदों की खरीद न तो पेटेंट प्रकृति की थी और न ही किसी आकस्मिक प्रकृति की थी और यह खरीद आवश्यकता का आकलन किए बिना मौजूदा नियमों के उल्लंघन में की गई थी।

ख. शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का उपयोग न करना

शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) मेसर्स आईटीआई लिमिटेड को दिए गए प्रारंभिक कार्य आदेश का एक प्रमुख घटक थी। इसके पश्चात, जनवरी 2019 में 95 और सरकारी कॉलेजों में शिक्षण प्रबंधन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, 112 कॉलेजों (95+17) में ₹ 2.90 लाख प्रति कॉलेज की वार्षिक लागत पर उन्नत शिक्षण प्रबंधन प्रणाली प्रदान करने के लिए फर्म के साथ एक करार निष्पादित किया गया था (जून 2019)। इसके अतिरिक्त, मई 2020 में 38 और कॉलेजों को जोड़ा गया, जिससे शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का दायरा बढ़कर 150 कॉलेजों तक हो गया। फरवरी 2023 में, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग ने 112 कॉलेजों के लिए करार की अवधि को जून 2024 तक बढ़ाने का अनुमोदन प्रदान किया।

मई 2021 में, निदेशक, उच्चतर शिक्षा के कार्यालय ने सभी कॉलेजों को शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का नियमित रूप से उपयोग करने और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश जारी किए और फर्म को विभागीय स्तर पर प्रगति की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड विकसित करने का निर्देश दिया। इसके उत्तर में, सात कॉलेजों ने सूचित किया (मई 2021) कि खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी, फर्म से सहयोग की कमी और सॉफ्टवेयर में शिक्षक-छात्र डेटा को अपलोड करने एवं मैपिंग में देरी जैसे विभिन्न कारणों से शिक्षण प्रबंधन प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा रहा था। नमूना-जांच किए गए नौ कॉलेजों और राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज, कालका ने बताया कि वे ई-लर्निंग के लिए नि:शुल्क पोर्टल (गूगल मीट और गूगल क्लासरूम) पर निर्भर थे।

चार कॉलेजों[13] ने निदेशक, उच्चतर शिक्षा के कार्यालय को सूचित किया (मार्च - अप्रैल 2023) कि अधिकांश शिक्षण प्रबंधन प्रणाली उपयोगकर्ताओं ने सॉफ्टवेयर की परिचालन जटिलता के कारण इसे कम उपयोगकर्ता के अनुकूल पाया। शिक्षकों और छात्रों ने ऑनलाइन शिक्षण के लिए नि:शुल्क और अधिक सुलभ प्लेटफार्म (गूगल क्लासरूम) को प्राथमिकता दी। प्रतिकूल प्रतिक्रिया

---

12 राजकीय महिला महाविद्यालय (जीसीडब्ल्यू), भोड़िया खेड़ा (फतेहाबाद), राजकीय महिला महाविद्यालय, सालाहेड़ी (नूंह) और राजकीय महिला महाविद्यालय, कैथल।

13 कालका, झज्जर, हांसी और पंचकुला।

को देखते हुए, आईटी सेल (निदेशक, उच्चतर शिक्षा के कार्यालय) से कॉलेजों में शिक्षण प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था (जून 2023)।

जुलाई 2023 में, निदेशक, उच्चतर शिक्षा के कार्यालय के आईटी सेल ने शिक्षण प्रबंधन प्रणाली को बंद करने की सिफारिश की (जुलाई 2023), क्योंकि यह किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही थी। अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर, जनवरी 2024 में एक निदेशक उच्चतर शिक्षा (डीएचई) समिति[14] का गठन किया गया था। समिति ने अप्रैल 2024 में शिक्षण प्रबंधन प्रणाली को बंद करने की सिफारिश की क्योंकि अधिकांश कॉलेजों ने विक्रेता से अपर्याप्त सहयोग, उच्च परिचालन लागत और प्रणाली के उपयोगकर्ता के अनुकूल न होने या प्रभावी छात्र शिक्षण के अनुकूल न होने के कारण असंतोष व्यक्त किया था।

विकसित डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी करके शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के उपयोग/परिणाम को मापने और सुनिश्चित किए बिना 2019-22 की अवधि के लिए फर्म को कुल ₹ 7.61 करोड़[15] का भुगतान किया गया था। कंपनी से 2022-23 और 2023-24 की अवधि के इनवॉइस अभी प्रतीक्षित थे (अप्रैल 2024)।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि 2021-22 से 115 कॉलेजों में शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) का उपयोग नहीं किया गया था और तीन कॉलेजों में इसका उपयोग कभी नहीं किया गया था। इस प्रकार, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के उपयोग न होने के बारे में सूचना प्राप्त होने के बावजूद वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 3.43 करोड़ (₹ 2.90 लाख x 118 कॉलेज) का भुगतान किया गया था, इस प्रकार यह व्यय निष्फल/व्यर्थ हो गया।

निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने उत्तर दिया (फरवरी 2025) कि कॉलेजों द्वारा शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के बहुत कम उपयोग के कारण, करार को आगे नहीं बढ़ाया गया है। यह उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि करता है कि उस उत्पाद/सेवा के लिए भुगतान किया गया था जिसे अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोगी नहीं पाया गया था।

ग. चार कॉलेजों में अस्थापित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों पर निष्क्रिय निवेश

उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों में डिजिटल और ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए 2018 में दृष्टि (परिवर्तन और नवाचार के लिए हरियाणा में सूचना अध्ययन में डिजिटल क्रांति) कार्यक्रम तैयार किया। तदनुसार, डिजिटल बोर्ड, ई-लर्निंग लैब (जिनमें 20 कंप्यूटर शामिल हैं), डिजिटल पोडियम/स्मार्ट रोस्ट्रम और वर्चुअल क्लासरूम सहित आईटी उपकरणों की स्थापना के लिए 36 कॉलेजों का चयन किया गया था।

36 सरकारी कॉलेजों के लिए आईटी अवसंरचना तैयार करने के लिए आईटी उपकरणों की खरीद के लिए महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान, हरियाणा को एक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया

[14] विभाग के चार सदस्य, कॉलेजों के पांच प्रिंसिपल और फर्म का एक प्रतिनिधि।

[15] 23 अगस्त 2022 - ₹ 2.50 करोड़, 16 जनवरी 2024 - ₹ 0.96 करोड़ और 18 मार्च 2024 - ₹ 4.15 करोड़।

(फरवरी 2019)। इन सभी 36 कॉलेजों के लिए ₹ 17.23 करोड़ का आपूर्ति आदेश जारी किया गया था। आपूर्ति आदेश (मार्च 2019) के अनुसार, 36 कॉलेजों में आपूर्ति और स्थापित की जाने वाली मदों का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	मद	मात्रा	प्रति इकाई लागत (₹ लाख में)	कुल इकाई लागत (₹ लाख में)
1	डिजिटल बोर्ड	36	3.15	113.40
2	ई-लर्निंग लैब्स	36	27.00	972.00
3	डिजिटल पोडियम/स्मार्ट रोस्ट्रम	36	3.20	115.20
4	वर्चुअल क्लासरूम	36	14.50	522.00
				1,722.60

आपूर्ति आदेश के निबंधनों एवं शर्तों के अनुपालन में, सामग्री की आपूर्ति के 15 दिनों के भीतर (मार्च 2019) फर्म को ₹ 15.50 करोड़ (90 प्रतिशत) का भुगतान कर दिया गया था। फर्म ने विभाग को सूचित किया (जून 2019) कि निर्धारित समय के भीतर सभी कॉलेजों को सामग्री की आपूर्ति कर दी गई थी और 16 कॉलेजों में उपकरण स्थापित कर दिए गए थे, जबकि शेष 20 कॉलेजों के भवन अभी भी निर्माणाधीन थे। यह आश्वासन दिया गया था कि भवनों का कब्जा मिलते ही स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और फर्म ने ₹ 1.72 करोड़ के शेष 10 प्रतिशत भुगतान को जारी करने का अनुरोध किया। विभाग ने उन 16 कॉलेजों के लिए ₹ 76.56 लाख जारी किए (जून 2019) जिनका कार्य पूर्ण हो चुका था। इसके बाद, फर्म ने फिर से अनुरोध किया (जुलाई 2019) कि शेष कॉलेजों के लिए भी बकाया भुगतान जारी किया जाए, यह तर्क देते हुए कि देरी उनकी ओर से नहीं थी और भवनों के पूर्ण होने पर सिस्टम स्थापित करने का वचन-बंध प्रस्तुत किया। विभाग ने फर्म को ₹ 95.70 लाख जारी कर दिए, जबकि 20 कॉलेजों में उपकरणों की स्थापना अभी भी लंबित थी। इन 20 कॉलेजों में से, चार[16] कॉलेजों में जनवरी 2025 तक सिस्टम स्थापित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे गैर-स्थापित उपकरणों पर ₹ 1.91 करोड़ का निवेश निष्क्रिय रहा।

इस प्रकार, विभाग ने राज्य सरकार के नियमों/निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 6.81 करोड़ की खरीदारी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के लिए) की, इसके अतिरिक्त, ₹ 1.91 करोड़ की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुविधाओं की स्थापना न होने और खराब उपयोग के कारण, ₹ 8.72 करोड़ का समग्र व्यय व्यापक रूप से निष्क्रिय रहा।

मामला सितंबर 2025 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग के पास भेजा गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

[16] राजकीय कन्या महाविद्यालय, दादूपुर रोड़ान (जुंडला, करनाल), राजकीय महाविद्यालय, असंध (करनाल), राजकीय कन्या महाविद्यालय, नचौली और राजकीय महाविद्यालय, मोहना (फरीदाबाद)।

4.6 स्टार्ट-अप इनक्यूबेटरों और ई-कर्मा परियोजना के अपेक्षित परिणामों का सत्यापन किए बिना भुगतान जारी करना

उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार ने पांच सरकारी कॉलेजों में स्टार्ट-अप इनक्यूबेटरों के लिए ₹ 17.43 करोड़ की राशि मापन योग्य परिणामों और मुख्य निष्पादन संकेतकों के विरुद्ध परिणामों का सत्यापन किए बिना ही जारी की। इसी प्रकार, ई-कर्मा परियोजना के तहत 4,649 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण पर खर्च किए गए ₹ 13.68 करोड़ व्यापक रूप से निष्फल रहे, क्योंकि उनमें से बहुत ही कम संख्या में अभ्यर्थी अपनी कमाई शुरू कर सके।

युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार ने 2017 से 2019 के दौरान दो प्रमुख परियोजनाएं शुरू की; स्नातकों को इंटरनेट आधारित फ्रीलांसिंग के माध्यम से कमाई करने में सक्षम बनाने के लिए स्टार्ट-अप इनक्यूबेटरों की स्थापना और ई-कर्मा प्रशिक्षण कार्यक्रम। निदेशालय कार्यालय में अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच से दोनों पहलों में महत्वपूर्ण कमियां सामने आई हैं। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

(i) मुख्य निष्पादन संकेतकों (केपीआई) की निगरानी किए बिना या परिणामों का सत्यापन किए बिना स्टार्ट-अप इनक्यूबेटरों के लिए भुगतान किया गया

बेरोजगारी को कम करने और युवाओं को अपने स्वयं के उद्यम खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के बताए गए उद्देश्य से निदेशक, उच्चतर शिक्षा (डीएचई) ने मई 2017 में राजकीय महाविद्यालय, पंचकुला में उद्यमिता को बढ़ावा देने में अनुभव रखने वाली एक एजेंसी को नियुक्त करके पायलट परियोजना के रूप में एक इनक्यूबेटर-सह-उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। एजेंसी से यह अपेक्षा की गई थी कि वह इच्छुक उद्यमियों का एक नेटवर्क तैयार करेगी और उसका प्रबंधन करेगी; नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए विपणन गतिविधियां संचालित करेगी; खुले सत्रों के माध्यम से सृजित सुझावों की पुष्टि करेगी; और छात्रों को परामर्श तथा आवश्यक मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करेगी। यह परिकल्पना की गई थी कि पंचकुला इनक्यूबेटर के सफल संचालन के बाद, इस पहल को राज्य के अन्य कॉलेजों में भी दोहराया जाएगा।

तदनुसार, निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने जून 2017 में प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किया और मेसर्स स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर चैंबर ऑफ कॉमर्स (एसएसीसी), मोहाली को तीन वर्ष (जिसे आगे दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता था) के लिए निम्नलिखित दरों पर अगस्त 2017 में कार्य आदेश जारी किया:

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मूल्य (₹ लाख में)	
1	स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर का निर्माण और साज-सज्जा	63.00	
2	तीन वर्ष के लिए स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर-सह-उत्कृष्टता केंद्र का प्रबंधन और संचालन	वर्ष 1	60.00
		वर्ष 2	70.00
		वर्ष 3	70.00

एजेंसी के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति देते समय, प्रधान सचिव, उच्चतर शिक्षा ने प्रगति की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया (अगस्त 2017)। इस समिति का उद्देश्य निगरानी योग्य लक्ष्य निर्धारित करके प्रगति की समीक्षा करना था; इन लक्ष्यों में

जागरूकता शिविरों की संख्या, नए सुझाव प्रदान करने वाले छात्रों की संख्या, इनक्यूबेशन का लाभ उठाने वाले छात्रों की संख्या, सुझावों की पुष्टि और परीक्षण, कार्यशालाओं/संगोष्ठियों की संख्या और स्टार्ट-अप का अंतिम लक्ष्य शामिल थे।

इन निर्देशों को कार्य आदेश का हिस्सा बनाया गया था। पंचकुला में इनक्यूबेटर ने दिसंबर 2017 में परिचालन शुरू किया था। प्रगति की समीक्षा के लिए मई 2018 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने मुख्य निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के माध्यम से मापने योग्य लक्ष्यों की सिफारिश की, जिसमें पांच श्रेणियों के तहत 45 आपूर्ति योग्य लक्ष्य शामिल थे।

फरवरी 2019 में, समान शर्तों पर चार और इनक्यूबेटर (हिसार, करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद) स्थापित करने के लिए कार्य आदेश का विस्तार किया गया था। मार्च 2024 तक, विभाग ने इन पांच इनक्यूबेटरों के लिए एजेंसी को ₹ 17.43 करोड़ का भुगतान कर दिया था, जो एजेंसी द्वारा प्रस्तुत और कॉलेज प्रिंसिपलों द्वारा अग्रेषित त्रैमासिक रिपोर्टों पर आधारित था, इसमें परिणामों का सत्यापन और मूल्यांकन नहीं किया गया और मुख्य निष्पादन संकेतकों के विरुद्ध कभी भी इनका मूल्यांकन नहीं किया गया था। यह पाया गया था कि कॉलेजों के लिए परियोजना निगरानी इकाइयां (पीएमयू) केवल मार्च 2024 में स्थापित की गई थी, जिन्होंने जुलाई 2024 में इन्क्यूबेटरों का दौरा किया और इनक्यूबेटरों के आरंभ होने के पांच वर्ष बाद 45 मुख्य निष्पादन संकेतकों के विरूद्ध इन्क्यूबेटरों के निष्पादन का मूल्यांकन किए बिना समान रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

एजेंसी ने दावा किया कि पांच केंद्रों के माध्यम से 404 स्टार्ट-अप इनक्यूबेट किए गए थे। हालांकि, मात्र 26 स्टार्ट-अप वास्तव में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग[17] के पास पंजीकृत पाए गए थे। पंचकुला और करनाल में इन्क्यूबेटरों की नमूना-जांच के दौरान निम्नलिखित विसंगतियां भी पाई गई थी:

(i). स्टार्ट-अप से संबंधित अभिलेख जैसे कि वित्तीय विवरण, बैंक विवरण, पंजीकृत साझेदारी विलेख आदि इनक्यूबेटरों में नहीं रखे गए थे।

(ii). करनाल में, दो या दो से अधिक छात्रों के बीच साझेदारी करार और व्यवसाय के लिए जगह किराए पर लेने हेतु किराया करार स्वयं फर्म द्वारा ही निष्पादित किए गए थे। इन साझेदारी करारों को पंजीकृत नहीं किया गया था।

(iii). करनाल और पंचकुला में, निवेशकों, सीड फंडिंग, इन स्टार्टअप्स द्वारा सृजित रोजगार आदि के विवरण उपलब्ध नहीं थे।

स्टार्ट-अप के लिए वित्तीय विवरण, निवेश, सीड फंडिंग और निष्पादन संकेतक जैसी महत्वपूर्ण जानकारी के अभाव में, स्टार्ट-अप की व्यवहार्यता या स्थिरता पर कोई आश्वासन नहीं दिया जा सका, जैसा कि उस एजेंसी द्वारा दावा किया गया था जिसके लिए विभाग द्वारा भुगतान किया गया था।

[17] डीपीआईआईटी।

इस प्रकार, विभाग ने दिसंबर 2017 से मार्च 2024 के दौरान, निर्धारित मुख्य निष्पादन संकेतकों और परिकल्पित परिणामों तथा देय लक्ष्यों के विरुद्ध एजेंसी के निष्पादन का समुचित मूल्यांकन किए बिना ₹ 17.43 करोड़ का व्यय किया।

महानिदेशक, उच्चतर शिक्षा ने सूचित किया (जनवरी 2026) कि चार कॉलेजों अर्थात गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार और करनाल की परियोजना निगरानी इकाइयों ने रिपोर्ट दी थी (जुलाई 2024) कि कार्य संतोषजनक था और निर्धारित मुख्य निष्पादन संकेतकों के अनुरूप था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि परियोजना निगरानी इकाइयों ने जुलाई 2024 में इनक्यूबेटरों का दौरा किया था (परियोजना शुरू होने के पांच वर्ष बाद और मार्च 2024 में परियोजना पूरी होने के बाद) और उनकी रिपोर्टों में 45 मुख्य निष्पादन संकेतकों के सापेक्ष प्रत्येक इनक्यूबेटर के निष्पादन के मूल्यांकन का कोई उल्लेख नहीं था।

(ii) ई-कर्मा परियोजना का कम परिणाम

बेरोजगार स्नातकों के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने फरवरी 2019 में ई-कर्मा परियोजना का एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों को इंटरनेट आधारित फ्रीलांसिंग के अवसर प्राप्त करने में सक्षम बनाना था। इस परियोजना का उद्देश्य उभरते हुए फ्रीलांसरों को संचार कौशल, फ्रीलांसिंग पोर्टल पर बोली लगाने और तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करके उनके कौशल को बढ़ाना था। इसका अभीष्ट परिणाम यह था कि प्रशिक्षित अभ्यर्थी प्रशिक्षण के बाद अपनी कमाई शुरू करने में सक्षम होंगे। अगस्त 2019 में प्रस्ताव को इस निर्देश के साथ अनुमोदन दिया गया था कि कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी के लिए एक परियोजना निगरानी एवं कार्यान्वयन इकाई स्थापित की जाए।

परियोजना के तहत पांच कॉलेजों[18] में प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए मेसर्स ऐपवर्क्स आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए एक करार निष्पादित (नवंबर 2019) किया गया था, जिसमें प्रति वर्ष न्यूनतम 1,000 और अधिकतम 3,000 अभ्यर्थियों को शामिल किया जाना था। प्रशिक्षण की लागत प्रति अभ्यर्थी ₹ 48,000 तथा लागू कर तय की गई थी, जिसमें से 50 प्रतिशत का भुगतान चार से छः महीने के प्रशिक्षण के पूर्ण होने पर और शेष 50 प्रतिशत का भुगतान अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित आय के अनुसार किया जाना था। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद, अभ्यर्थियों का प्रमाणन विभाग और संबंधित कॉलेज द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना था। एजेंसी के लिए मासिक गतिविधि रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य था और परियोजना निगरानी इकाई द्वारा जांच और स्वीकृति के बाद ही विभाग द्वारा भुगतान जारी किया जाना था।

---

[18] (i) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेक्टर-1, पंचकुला, (ii) पंडित चिरंजी लाल शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, करनाल, (iii) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिसार, (iv) द्रोणाचार्य राजकीय महाविद्यालय, गुरुग्राम और (v) पंडित जे.एल.एन. राजकीय महाविद्यालय, सेक्टर 16, फरीदाबाद।

यह पाया गया था कि परियोजना शुरू होने के चार वर्ष बाद, मार्च 2024 में परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त, पूरी परियोजना अवधि के दौरान परियोजना की निगरानी के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया था। परियोजना निगरानी इकाई की रिपोर्ट (जुलाई 2024) और भुगतान विवरण के अनुसार, कुल 4,649 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित बताया गया था और केवल 212 अभ्यर्थियों ने कमाई शुरू कर दी थी। परियोजना निगरानी इकाई की रिपोर्ट (जुलाई 2024) के आधार पर विभाग ने कुल ₹ 13.68 करोड़ का भुगतान जारी किया।

निदेशक, उच्चतर शिक्षा ने पुष्टि की (दिसंबर 2025) कि ₹ 13.68 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था और आगे यह भी बताया कि परियोजना को कोई विस्तार नहीं दिया गया है।

इस प्रकार, दोनों परियोजनाओं में मुख्य निष्पादन संकेतकों और परिकल्पित परिणामों के आधार पर एजेंसियों के निष्पादन की निगरानी न किए जाने के कारण ₹ 31.11 करोड़ का व्यय करने के बाद भी इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

मामला दिसंबर 2025 में अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

उच्चतर शिक्षा विभाग
(कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय)

4.7 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधियों के अप्रभावी उपयोग के परिणामस्वरूप लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति न होना

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत ₹ 41.67 करोड़ की पहली किस्त का पूर्ण उपयोग करने में विफल रहा, क्योंकि यह केवल ₹ 19.62 करोड़ का ही व्यय कर सका। इसके परिणामस्वरूप, शेष निधियों को राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा अन्य संस्थानों को पुनः आवंटित कर दिया गया। इसके कारण न केवल विश्वविद्यालय को भविष्य में मिलने वाले राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अनुदानों से वंचित होना पड़ा, बल्कि सभी स्वीकृत परियोजनाएं भी अपूर्ण रह गईं, जिससे विश्वविद्यालय के छात्रों और संकाय सदस्यों को उन्नत सुविधाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार ने अक्तूबर 2013 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में आरंभ किया जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों के प्रयासों को बल देते हुए और उन्हें वित्तपोषण प्रदान करके, राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में अवसंरचना की गंभीर कमियों को दूर करना था। यह योजना विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अवसंरचना अनुदान प्रदान करती है और इसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में लागत साझा करने का प्रावधान है।

भारत सरकार ने (मई 2018) योजना के घटक 4 अर्थात् चयनित राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता के तहत ₹ 100 करोड़ के अनुदान के लिए हरियाणा से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का चयन किया था। ₹ 100 करोड़ की इस विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कुल 19 परियोजनाएं शामिल थी, जिसके विरुद्ध मई 2019 में ₹ 41.67 करोड़ की पहली किस्त

(जिसमें ₹ 25 करोड़ केंद्रीय हिस्सा, और ₹ 16.67 करोड़ राज्य का हिस्सा शामिल था) जारी की गई थी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान समीक्षा बैठक (जून 2021) के कार्यवृत्त और उसके बाद भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों (मई 2022) के अनुसार, अगली किस्तें केवल तभी जारी की जानी थी जब पहली किस्त (केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से) का कम से कम 75 प्रतिशत उपयोग कर लिया गया हो। हालांकि, पांच वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जुलाई 2024 तक केवल ₹ 19.62 करोड़ (47 प्रतिशत) ही उपयोग कर सका ***(परिशिष्ट 4.3)***।

जुलाई 2024 से सितंबर 2024 के दौरान अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियां पाई गई, नमूना-जांच की गई तीन परियोजनाओं के मुख्य निष्कर्षों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए निधियों का अनुपयोग

सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्वचालन केंद्र (सीआईटीए) की परिकल्पना विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रबंधन के एक अंतरविषयक अनुसंधान सहयोग केंद्र के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य डेटा एनालिटिक्स और डेटा माइनिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, वैज्ञानिक गणना/सिमुलेशन, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर शोध करना और नए पाठ्यक्रम संचालित करना था। परियोजना को, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) द्वारा ₹ 10.25 करोड़ के लिए अनुमोदित किया गया था। परियोजना के अंतर्गत कंप्यूटर एवं सहायक उपकरणों की खरीद (₹ दो करोड़), वाई-फाई अपग्रेडेशन (₹ दो करोड़), एक उच्च-क्षमता गणना प्रयोगशाला की स्थापना (₹ 3.50 करोड़) तथा इंटरैक्टिव क्लासरूम और कॉन्फ्रेंस रूम तैयार करना (₹ 1.50 करोड़) शामिल था।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्वचालन केंद्र के लिए ₹ 3.64[19] करोड़ की पहली किस्त मई 2019 में जारी की गई थी। अनुमोदित परियोजना के अनुसार, निष्पादन योजना तैयार करने और निधियों का उपयोग करने के बजाय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की परियोजना संचालन समिति, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा निधियों का उपयोग ₹ 1.60 करोड़ के 172 कम्प्यूटरों और अन्य सहायक उपकरणों की खरीद के लिए किया गया। इनमें से, ₹ 46.41 लाख मूल्य के केवल 60 कंप्यूटर ही सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्वचालन केंद्र को उपलब्ध कराए गए, जबकि ₹ 1.14 करोड़ मूल्य के शेष कंप्यूटर और सहायक उपकरण प्रशासनिक[20] उद्देश्यों के लिए विभिन्न विभागों को हस्तांतरित कर दिए गए। अतः, यह व्यय अनुसंधान सहयोग केंद्र की स्थापना के अनुरूप नहीं था और परियोजना अपूर्ण रह गई।

नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने सूचित किया (जुलाई 2024) कि व्यय, अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय की विभिन्न शाखाओं/विभागों के लिए 400 कंप्यूटरों की खरीद का

---

19 ₹ 0.30 करोड़ प्रशिक्षण के लिए तथा ₹ 3.34 करोड़ केंद्र की स्थापना के लिए।

20 विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान शाखा, परीक्षा प्रकोष्ठ, लेखा शाखा, महाविद्यालय शाखाएं इत्यादि।

प्रावधान था। पहले चरण में 172 कंप्यूटरों की खरीद की गई। जिनमें से, 112 को विभिन्न शाखाओं/विभागों को हस्तांतरित कर दिया गया तथा 60 को सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्वचालन केंद्र के लिए रखा गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि निधियों का उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्वचालन केंद्र की स्थापना के उस निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था, जिसके अंतर्गत परियोजना रिपोर्ट में परिकल्पित अनुसंधान करने और नए पाठ्यक्रम चलाने का लक्ष्य रखा गया था; इसके बजाय, इन निधियों का उपयोग प्रशासनिक कार्यों हेतु कंप्यूटर और सहायक उपकरणों की खरीद के लिए किया गया।

(ii) उन्नत सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएएमआर) के लिए उपकरणों की खरीद में विलंब

₹ 13.10 करोड़ की लागत की एक परियोजना के तहत उन्नत सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएएमआर) ***(परिशिष्ट 4.4)*** के लिए 14 शोध उपकरणों की खरीद की परिकल्पना की गई थी। इसके विरुद्ध, मई 2019 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को ₹ 3.95 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई थी।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि पहली किस्त के जारी होने के तीन महीने बाद, तकनीकी विशिष्टताओं को अंतिम रूप देने के लिए दस-सदस्यीय तकनीकी समिति (कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से पांच सदस्य तथा दिल्ली, हरियाणा एवं चंडीगढ़ के अन्य विश्वविद्यालयों से पांच सदस्य) का गठन अगस्त 2019 में किया गया था। समिति ने छः महीने के अंतराल के बाद विभिन्न उपकरणों की विशिष्टताओं को अंतिम रूप दिया (फरवरी 2020)। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक पांच सदस्यीय परियोजना एक्शन ग्रुप ने खुली निविदाओं के माध्यम से उपकरणों की खरीद करने का निर्णय लिया (मार्च 2020), हालांकि, इसके बावजूद कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई।

परियोजना एक्शन ग्रुप की बैठक पुनः मार्च 2023 में आयोजित की गई, अर्थात् तीन वर्ष के अंतराल के बाद और बैठक में फरवरी 2020 में निर्धारित विशिष्टताओं के आधार पर रमन स्पेक्ट्रोमीटर (₹ 2.15 करोड़) और एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर (₹ 1.80 करोड़) की खरीद के लिए पूर्व स्वीकृत ₹ 3.95 करोड़ का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। अंततः, इसके लिए निविदाएं मई 2024 में आमंत्रित की गई। ₹ 2.29 करोड़ में केवल रमन स्पेक्ट्रोमीटर ही खरीदा जा सका, जिसकी आपूर्ति अगस्त 2024 में हुई और इसे अक्तूबर 2024 में स्थापित किया गया। एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण जनवरी 2025 तक इसकी खरीद नहीं की जा सकी।

इस प्रकार, विलंब, अनिर्णायकता और कार्य में ढिलाई के कारण निधियों के जारी होने के पांच वर्ष बाद भी केवल एक ही उपकरण खरीदा जा सका, जिसके परिणामस्वरूप छात्र एवं फैकल्टी महत्वपूर्ण अवसंरचना के विस्तार की सुविधाओं से वंचित रह गए।

नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने यह उत्तर दिया कि मार्च 2020 में कोविड-19 के प्रतिबंधों तथा सितंबर 2021 में एकल नोडल एजेंसी के कार्यान्वयन के कारण कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से निधियों की निकासी से खरीद प्रक्रिया रोक दी गई थी। इसके अलावा, एक्स-रे डिफ्रैक्टोमीटर की खरीद हेतु निविदाएं आमंत्रित किए जाने के बावजूद कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि मई 2019 में निधियों के जारी होने और अगस्त 2019 में समिति के गठन के बावजूद, उपकरणों के विनिर्देशों को छः महीने की देरी से मार्च 2020 में अंतिम रूप दिया गया था, और उसके पश्चात खरीद की कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण प्रक्रिया अवरोधन की स्पष्टता भी तर्कसंगत नहीं थी, क्योंकि जून 2020 में प्रतिबंध हटा दिए गए थे, परंतु परियोजना एक्शन ग्रुप की अगले तीन वर्षों तक कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। परिणामस्वरूप, परियोजना अपूर्ण रही और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को स्वीकृत अनुदान के ₹ 10.81 करोड़ प्राप्त नहीं हुए।

(iii) भवन के निर्माण के पूर्ण होने में विलंब

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, पांच अनुसंधान केंद्रों[21] के लिए एक सात-मंजिला केंद्रीय अनुसंधान सुविधा भवन का निर्माण किया जाना था। कुलपति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने जनवरी 2019 में भवन निर्माण हेतु ₹ 21.35 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया था, जिसे अगस्त 2019 में संशोधित कर ₹ 26.55 करोड़ कर दिया गया। इसके विरुद्ध, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत ₹ 12 करोड़ की निधि उपलब्ध कराई जानी थी, जिसमें से ₹ पांच करोड़ की पहली किस्त मई 2019 में जारी की गई थी।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने अगस्त 2019 में उक्त कार्य मेसर्स बी. आर. कोहली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली (एल1 बोलीदाता) को ₹ 24.46 करोड़ की अनुबंध लागत पर आवंटित किया था, जिसे 18 महीने के भीतर अर्थात् फरवरी 2021 तक पूर्ण किया जाना अनिवार्य था। हालांकि, कोविड-19 प्रतिबंधों का संदर्भ देते हुए मार्च 2022 तक, और एकल नोडल एजेंसी प्रणाली लागू होने के बाद निधि की कमी के कारण मार्च 2023 तक बार-बार समय सीमा विस्तारित की गई। अंततः, ठेकेदार के अनुरोध (नवंबर 2023) पर इस समय सीमा को अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि ठेकेदार को अगस्त 2024 तक अनुचित समय वृद्धि प्रदान की गई थी, जबकि फरवरी 2024 तक केवल 15 प्रतिशत कार्य ही निष्पादित किया गया था और कोविड-19 की अवधि के लिए पहले ही समय वृद्धि दी जा चुकी थी। यद्यपि फरवरी 2024 में अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत के बराबर जुर्माना लगाया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया, क्योंकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने जुर्माने की वसूली किए बिना ही जुलाई 2024 में ठेकेदार को ₹ 41.35 लाख का भुगतान कर दिया।

अगस्त 2024 तक, ₹ 3.97 करोड़ के कुल व्यय में से, केवल 16.23 प्रतिशत कार्य का निष्पादन किया गया। अतः ₹ 3.97 करोड़ का व्यय निष्फल रहा, क्योंकि अपूर्ण भवन का किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार, लंबित निर्णयों एवं कार्य में ढिलाई के कारणवश, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत प्राप्त ₹ 41.67 करोड़ की पहली किस्त का उपयोग करने में विफल रहा,

[21] (i) उन्नत सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएएमआर), (ii) सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्वचालन केंद्र (सीआईटीए), (iii) भूकंप अध्ययन उन्नत अनुसंधान केंद्र (सीएआरईएस), (iv) पर्यावरण विज्ञान में अनुप्रयुक्त जीवविज्ञान केंद्र (सीएबीएएस) तथा (v) सरस्वती नदी अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र (सीईआरएसआर)।

क्योंकि केवल ₹ 19.62 करोड़ ही व्यय किए जा सके। विश्वविद्यालय ने (जुलाई 2024 में) बताया कि इसका प्राथमिक कारण कोविड-19 की स्थिति और नवंबर 2021 में एकल नोडल एजेंसी प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान द्वारा अव्ययित निधि की वापसी थी। यह निधि विश्वविद्यालय को अक्तूबर 2022 में पुनः जारी की गई थी।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कोविड-19 की अवधि बीत जाने के बाद भी कार्य की प्रगति और निधि के उपयोग में निरंतर सुस्ती बनी रही। इसके अतिरिक्त, एकल नोडल एजेंसी (एस.एन.ए.) प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निधियों के जारी होने के 30 महीने बाद नवंबर 2021 में निधि की वापसी की गई थी और अक्तूबर 2022 में इसे पुनः जारी कर दिया गया था। विश्वविद्यालय स्तर पर निर्णयों में देरी और कार्य में ढिलाई के कारण राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत परियोजनाएं अपूर्ण रही। परिणामस्वरूप, राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, हरियाणा ने ₹ 14.88 करोड़ (मार्च 2024) को अन्य 27 संस्थानों में डाइवर्ट कर दिया। इसके फलस्वरूप, विश्वविद्यालय के छात्र और संकाय उन उन्नत शैक्षिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण सुविधाओं से वंचित रह गए, जिनकी परिकल्पना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत की गई थी।

मामला जुलाई 2025 में अपर मुख्य सचिव, उच्चतर शिक्षा को संदर्भित किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (फरवरी 2026)।

परिवहन विभाग

4.8 रियायती उपयोगकर्ता फीस का लाभ न उठाने के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय

हरियाणा राज्य परिवहन के छः डिपो ने उन राष्ट्रीय राजमार्गों पर बसें चलाने के लिए लागू रियायती उपयोगकर्ता फीस की दरों का लाभ नहीं उठाया, जो पंजीकृत जिलों की सीमाओं के भीतर स्थित थे। इसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता फीस पर ₹ 4.65 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 के नियम 9 (3ए) के प्रावधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके पास वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को छोड़कर) है, जो किसी विशेष जिले के पंजीकरण प्रमाण पत्र के पते पर पंजीकृत है और ऐसे वाहन का उपयोग उस जिले के भीतर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग के उस सेक्शन, स्थाई पुल, सुरंग या बाईपास पर आवागमन के लिए करता है, तो उस जिले में स्थित सभी फीस प्लाजा पर निर्धारित दर की 50 प्रतिशत दर से उपयोगकर्ता फीस वसूल की जाएगी।

हरियाणा राज्य परिवहन के छः[22] डिपो के अभिलेखों की नमूना-जांच (अगस्त 2023 - जनवरी 2025) से यह स्पष्ट हुआ कि इन डिपो ने नियमों के अंतर्गत प्रदान की गई उपयोगकर्ता फीस की रियायती दरों का लाभ नहीं उठाया था। विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2018 से नवंबर 2024 की अवधि के दौरान, इन डिपो द्वारा बसों के पंजीकृत जिलों में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों के सेक्शनों पर बसें चलाने के लिए उपयोगकर्ता फीस के भुगतान पर ₹ 4.65 करोड़ ***(परिशिष्ट 4.5)*** का परिहार्य अतिरिक्त व्यय किया गया।

[22] (i) झज्जर, (ii) जींद, (iii) हिसार, (iv) रोहतक, (v) सोनीपत तथा (vi) यमुनानगर।

इस मामले को संज्ञान में लाए जाने पर, झज्जर, जींद और यमुनानगर डिपो के महाप्रबंधकों ने बताया (मई एवं अगस्त 2024) कि इस विषय को निदेशालय कार्यालय के साथ-साथ संबंधित टोल प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जा रहा है। महाप्रबंधक हिसार (अक्तूबर 2025) ने सूचित किया कि बाड़ोपट्टी और चौधरीवास टोल प्लाजा पर अगस्त 2025 से छूट प्रदान कर दी गई थी। शेष टोल प्लाजा के लिए मामला प्रक्रियाधीन है। महाप्रबंधक सोनीपत (सितंबर 2025) ने बताया कि भागां टोल प्लाजा पर जुलाई 2024 से छूट दी गई थी और झरोटी टोल प्लाजा का मामला प्रक्रियाधीन है। महाप्रबंधक रोहतक (सितंबर 2025) ने सूचित किया कि टोल प्राधिकरण द्वारा छूट प्रदान नहीं की गई थी।

इस प्रकार, संबंधित डिपो द्वारा उपयोगकर्ता फीस की रियायती दरों का लाभ लेने में विफल रहने के परिणामस्वरूप, ₹ 4.65 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक (दिसंबर 2025) के दौरान, हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को स्वीकार किया और बताया कि हिसार तथा सोनीपत जिलों के तीन टोल प्लाजा पर रियायती उपयोगकर्ता फीस लागू कर दी गई है। उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि शेष टोल प्लाजा पर रियायती सुविधा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ मामला उठाया जाएगा। इसके बाद, निदेशक, राज्य परिवहन ने सूचित किया (फरवरी 2026) कि राज्य में स्थित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के 39 टोल प्लाजा में से केवल चार टोल प्लाजा पर ही रियायती उपयोगकर्ता फीस लागू की जा रही थी। आगे यह बताया गया था कि सभी 39 टोल प्लाजा पर रियायती उपयोगकर्ता फीस को समान रूप से लागू करने के लिए अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ मामला उठाया गया था (जनवरी 2026)।

विकास एवं पंचायत विभाग तथा खजाना एवं लेखा विभाग (वित्त विभाग)

4.9 ₹ 57.46 करोड़ का संदिग्ध गबन

लेखापरीक्षा में फर्जी स्वीकृति पत्र तथा आधिकारिक लॉगिन सूचना के दुरुपयोग के माध्यम से अनधिकृत बजट आवंटन और निकासी द्वारा ₹ 57.46 करोड़ का संदिग्ध गबन पाया गया। कार्य आदेश या सहायक दस्तावेजों के बिना ही भुगतान कर दिए गए, जो कि निदेशालय कार्यालय (महानिदेशक, विकास एवं पंचायत), जिला विकास पंचायत अधिकारी, खंड विकास पंचायत अधिकारी और खजाना स्तरों पर नियंत्रण की गंभीर विफलता को दर्शाता है।

पंजाब वित्तीय नियमावली 1996 (जो हरियाणा पर भी लागू है) के नियम 2.10 (ए) में यह प्रावधान है कि राज्य के राजस्व से व्यय करने वाले या उसकी स्वीकृति देने वाले प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों का अनुपालन करना चाहिए। प्रत्येक विभागाध्यक्ष का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रत्येक चरण पर कड़ाई से मितव्ययिता बरतते हुए वित्तीय अनुशासन लागू करे। प्रथम दृष्ट्या, व्यय अवसर की आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए।

हरियाणा सरकार ने बजट आवंटन और पुनर्विनियोजन से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए फरवरी 2010 से ऑनलाइन बजट आवंटन निगरानी एवं विश्लेषण प्रणाली लागू की थी। ऑनलाइन बजट आवंटन निगरानी एवं विश्लेषण प्रणाली में दी गई बजट आवंटन प्रक्रिया के अनुसार, प्रत्येक विभाग में वित्त विभाग के वरिष्ठतम लेखा कर्मियों को बजट नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाना था। बजट आवंटन के दौरान, प्रणाली ने विभाग के लिए स्वीकृत मुख्य शीर्ष-वार बजट प्रदर्शित किया। सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के जिला-वार विवरण वाली एक डेटाशीट को प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लिए मुख्य शीर्ष-वार राशि भरा जाना अपेक्षित था। इस तंत्र ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर पर आवंटन के सत्यापन को सक्षम बनाया और यह सुनिश्चित किया कि आगे किया गया आवंटन, विभाग को स्वीकृत कुल बजट से अधिक न हो।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा में पलवल खजाना से संबंधित अगस्त 2014 से अक्तूबर 2024 की अवधि के खजाना वाउचरों की लेखापरीक्षा (दिसंबर 2024) के दौरान यह पाया गया कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर (जिला पलवल) द्वारा ₹ 16.26 करोड़[23] के भुगतान (871 वाउचरों[24] के माध्यम से) किए गए थे। अस्पष्ट एवं बार-बार जारी की गई स्वीकृतियों के आधार पर मेसर्स दीपक मैनपावर सर्विस और श्री दीपक कुमार के नाम पर भुगतान किए गए थे। इन वाउचरों के साथ स्वीकृति आदेशों के अतिरिक्त कोई भी समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं पाए गए।

इन भुगतानों से संबंधित अभिलेखों की विस्तृत जांच के लिए, एक लेखापरीक्षा पार्टी ने (जनवरी 2025) जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, पलवल, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर और उप-खजाना, होडल के कार्यालयों का दौरा किया, जहां निम्नलिखित मामले पाए गए:

(i) वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर के कार्यालय के लिए बजट आवंटन में पिछले वर्षों (2020-21 से 2022-23) और समकक्ष खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के कार्यालयों (जैसे पलवल, हथीन, होडल, बड़ौली और पृथला) को किए गए आवंटन की तुलना में असामान्य वृद्धि देखी गई। यह तीव्र वृद्धि मुख्य रूप से "अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता - राज्य वित्त आयोग" शीर्ष के तहत बढ़े हुए बजट आवंटन के कारण थी। वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए बजट आवंटन और उससे संबंधित व्यय का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

---

[23] विस्तृत शीर्ष '2515-51-789-87-51' के अंतर्गत - राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता।

[24] अक्तूबर 2024 के लिए 297 वाउचरों के माध्यम से ₹ 6.53 करोड़, सितंबर 2024 के लिए 467 वाउचरों के माध्यम से ₹ 6.28 करोड़ तथा अगस्त 2024 के लिए 107 वाउचरों के माध्यम से ₹ 3.45 करोड़ का भुगतान किया गया।

(₹ करोड़ में)

अवधि		हसनपुर	होडल	हथीन	पृथला	पलवल	बडोली
2020-21	आवंटन	3.42	4.18	6.33	2.75	4.49	0.69
	व्यय	3.36	3.93	6.00	1.98	4.48	0.67
2021-22	आवंटन	8.28	4.29	5.75	2.26	4.28	1.00
	व्यय	8.27	4.27	5.67	2.21	4.23	1.00
2022-23	आवंटन	7.19	10.19	9.53	3.22	4.32	3.41
	व्यय	6.98	9.99	9.11	3.03	4.18	3.28
2023-24	आवंटन	25.62	6.69	10.03	4.07	5.33	4.16
	व्यय	25.61	6.68	9.99	3.86	5.30	4.10
2024-25 (24 जनवरी 2025 तक)	आवंटन	45.68	5.66	8.90	3.97	4.26	3.65
	व्यय	45.54	5.63	8.82	3.80	4.25	3.57

स्रोत: उप-खजाना कार्यालय होडल और संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई बजट उपलब्धता रिपोर्ट।

खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर को जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, पलवल द्वारा जारी स्वीकृति/बजट आवंटन पत्रों की संवीक्षा ने दर्शाया कि 2023-24 के लिए केवल ₹ 4.83 करोड़ का आवंटन था, तथा 2024-25 (जनवरी 2025 तक) के लिए केवल ₹ 4.29 करोड़ का आवंटन था। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, पलवल ने आगे यह बताया कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर से मेसर्स दीपक मैनपावर सर्विस और श्री दीपक कुमार को भुगतान करने के लिए निधियों के आवंटन हेतु कोई मांग प्राप्त नहीं हुई थी। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय ने (जनवरी 2025) इसकी भी पुष्टि की कि उन्होंने महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग से कभी भी इस प्रकार के आवंटन की मांग नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, दोनों कार्यालयों के अभिलेखों की जांच में मेसर्स दीपक मैनपावर सर्विस या श्री दीपक कुमार को मैनपावर उपलब्ध कराने या सामग्री की आपूर्ति के लिए करार के निष्पादन या कार्य आदेश जारी करने से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं मिले।

(ii) लेखापरीक्षा में आगे यह पाया गया कि उप-खजाना, होडल द्वारा मैनपावर सर्विस से संबंधित बिलों को मात्र एक एकल स्वीकृति पत्र के आधार पर पारित किया जा रहा था, जिस पर असामान्य रूप से बड़ी संख्या में पृष्ठांकन संख्याएं अंकित थी और उसका उपयोग खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर द्वारा प्रस्तुत कई बिलों के लिए बार-बार किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर ने स्वीकृति पत्र पर अंकित अपने हस्ताक्षरों को नकारा और पुष्टि की कि यह स्वीकृति उनके कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गई थी।

उप-खजाना, होडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 2023-25 (जनवरी 2025 तक) के दौरान दीपक कुमार (यूसीपी संख्या 2D6DMP) के नाम पर ₹ 7.79 करोड़ और मेसर्स दीपक मैनपावर सर्विसेज (यूसीपी संख्या 3A6DN8) के नाम पर ₹ 49.67 करोड़ सहित कुल ₹ 57.46 करोड़ का भुगतान किया गया था। यह भुगतान आकस्मिक बिलों/वेतन बिलों के रूप में संसाधित किए गए थे और उनमें व्यय का कोई उद्देश्य दर्ज नहीं किया गया था। भुगतानों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम	2023-24	2024-25	कुल
दीपक कुमार (यूसीपी नंबर 2D6DMP)	2.60[25]	5.19[26]	7.79
दीपक मैन पावर सर्विसेज (यूसीपी नंबर 3A6DN8)	14.08[27]	35.59[28]	49.67
कुल	**16.68**	**40.78**	**57.46**

स्रोत: उप-खजाना कार्यालय होडल के पोर्टल के माध्यम से प्राप्त भुगतान विवरण रिपोर्ट।

इस प्रकार, वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर के कार्यालय से ₹ 57.46 करोड़ की राशि की बिना किसी उचित स्वीकृति या आधिकारिक अनुमति के, उप-खजाना, होडल के माध्यम से निकासी की गई तथा दीपक कुमार एवं मेसर्स दीपक मैनपावर सर्विसेज के बैंक खातों में अंतरित की गई। इन निकासियों के परिणामस्वरूप, व्यय खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर की उचित बजटीय आवश्यकताओं से कहीं अधिक हो गया और यह भुगतान, उपर्युक्त आदाताओं से कोई भी सेवा प्राप्त किए बिना या सामग्री खरीदे बिना किया गया था।

जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, पलवल ने यह बताया (जनवरी 2025) कि जांच के लिए मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा को संदर्भित कर दिया गया था और संबंधित बैंकों से दीपक कुमार एवं मेसर्स दीपक मैनपावर सर्विसेज के बैंक खातों को सील करने का अनुरोध किया गया था। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक, विकास एवं पंचायत द्वारा अपेक्षित स्वीकृति के बिना महानिदेशक कार्यालय की लेखा शाखा से निधियों के अनधिकृत आवंटन के लिए प्राथमिकी दर्ज (जनवरी 2025) कराई गई थी, जिसमें कथित तौर पर अवैध निधि अंतरण की सुविधा के लिए आधिकारिक कंप्यूटर आईडी और पासवर्ड के दुरुपयोग की बात कही गई है। तत्पश्चात, इन धोखाधड़ी से आवंटित निधियों को विशिष्ट निजी संस्थाओं, जैसे कि मेसर्स दीपक मैनपावर सर्विसेज, दीपक कुमार और अन्य आदाताओं को अंतरित करने के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर के कार्यालय से फर्जी बिल सृजित किए गए थे।

महानिदेशक, विकास एवं पंचायत कार्यालय में सक्षम प्राधिकारी की उचित स्वीकृति के बिना बजट नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निधि आवंटित किए जाने के तरीके के बारे में पूछताछ किए जाने पर, आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, विकास एवं पंचायत विभाग ने अवगत कराया (अक्तूबर 2025) कि बजट नियंत्रण प्राधिकारी ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कोई भी बजट जारी नहीं किया था।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि राज्य सरकार ने केवल फरवरी 2025 से ही ऑनलाइन बजट आवंटन निगरानी एवं विश्लेषण प्रणाली पोर्टल पर उपयोगकर्ताओं के विशिष्ट कोड को उनके मोबाइल नंबरों के साथ मैप करके वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से टू फैक्टर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू की है। तदनुसार, बजट नियंत्रण प्राधिकारी/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा बजट का आवंटन उनके मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन टाइम पासवर्ड के सत्यापन के बाद ही किया

[25] ₹ 2.42 करोड़ (वेतन बिल/वेतन), ₹ 0.18 करोड़ (आकस्मिक बिल)।

[26] ₹ 1.53 करोड़ (वेतन बिल/वेतन), ₹ 3.66 करोड़ (आकस्मिक बिल)।

[27] ₹ 0.26 करोड़ (वेतन बिल/वेतन), ₹ 13.82 करोड़ (आकस्मिक बिल)।

[28] ₹ 4.15 करोड़ (वेतन बिल/वेतन), ₹ 31.44 करोड़ (आकस्मिक बिल)।

जा सकता है और आहरण एवं संवितरण अधिकारी को भेजे गए वन टाइम पासवर्ड के सत्यापन के बाद ही खजाना को बिल प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

इस प्रकार, विभिन्न स्तरों पर जांच और निगरानी की विफलता के कारण ₹ 57.46 करोड़ का संदिग्ध गबन हुआ। यह विफलता मुख्य रूप से कई स्तरों पर रही, अर्थात् निदेशालय (महानिदेशक, विकास एवं पंचायत) की लेखा शाखा के स्तर पर, जहां कथित तौर पर आधिकारिक कंप्यूटर आईडी और पासवर्ड के दुरुपयोग के माध्यम से निधियों का अनधिकृत आवंटन किया गया; जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के स्तर पर, जहां से इन निधियों की वैधता का सत्यापन किए बिना उन्हें खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हसनपुर को अंतरित कर दिया गया; और खजाना के स्तर पर, जहां उचित स्वीकृति, सहायक दस्तावेजों या आदाताओं के इन्वॉइस के बिना ही भुगतानों को संसाधित कर दिया गया।

चंडीगढ़ **(आशुतोष शर्मा)**
दिनांक: 23 जुलाई 2026 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**
दिनांक: 11 अगस्त 2026 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**